

तारीख हुक्म	<p style="text-align: center;">हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज <u>न्यायालय अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, नाथद्वारा</u> प्रकरण संख्या <u>25/2026</u> रे0फो0 राजस्थान राज्य बनाम भैरूसिंह (1/1)</p>	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की
	<p>दिनांक : 03.02.2026</p> <p>सहायक अभियोजन अधिकारी उपस्थित।</p> <p>अभियुक्त भैरूसिंह अनुपस्थित। अधिवक्ता श्री राजकुमार पालीवाल उपस्थित।</p> <p>पत्रावली श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश, महोदया, राजसमंद के आदेश क्रमांक 18 दिनांक 15.01.2026 की अनुपालना में अंतरित होकर न्यायालय श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नाथद्वारा से प्राप्त हुई।</p> <p>प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>पत्रावली बहस आरोप के स्तर पर है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा बहस आरोप के लिए अवसर चाहा गया। पत्रावली का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि प्रकरण में अभियुक्त भैरूसिंह के विरुद्ध दिनांक 19.11.2015 को अपराध अंतर्गत धारा 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।</p> <p>पत्रावली लंबे समय से बहस आरोप के स्तर पर है। न्यायहित में अधिवक्ता अभियुक्त को इस शर्त पर बहस हेतु अवसर दिया जाता है कि आगामी पेशी पर आवश्यक रूप से बहस करें।</p> <p>पत्रावली वास्ते बहस आरोप दिनांक 16.02.2026 को पेश हो।</p>	